संख्या : /जी०एस०(शिक्षा)/A15-39/2019

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक 30 सितम्बर, 2022**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 8492 दिनांक 09–06–2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, नौगांव, माण्डूवाला, देहरादून को बी०–एससी० (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में 30 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर हे०न०ब० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (यथा संशोधित) की धारा–36 (1) की व्यवस्थानुसार संस्थान को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, नौगांव, माण्डूवाला, देहरादून।	बी०–एससी० (नर्सिंग)	30 सीट	2019–20

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के भीतर उपलब्ध करायें।

2– विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Socity Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

3– यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यकमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यकमों के सम्बन्ध में पाठ्यकमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्थान में पुस्तकें मानकानुसार पूर्ण कराये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

4– प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा।

5– विश्वविद्यालय संस्थान में मानकानुसार फैकल्टी पूर्ण कराते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा, अपूर्ण फैकल्टी के कारण यदि छात्रों के हित प्रभावित होंगे तो इसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

6– अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अतिरिक्त उपरोक्त बिन्दु 02 से 04 में वर्णित कमियों को पूर्ण करते हुये तत्सम्बन्धी अभिलेखों सहित पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2474 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/A15-39/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रबन्धक/प्राचार्य– देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, नौगांव, माण्डूवाला, देहरादून।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।